

कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी बैठक दिनांक 25.08.2015

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 25.08.2015 को साय: 04.00 बजे आयोजित एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक में मैसर्स एस. सी. एल. इन्फ्राटेक लिमिटेड, हैदराबाद को अनुबन्ध संख्या 194/2006 - 2007 से आवंटित कार्य "Construction of Akodra Dam. Tehsil - Jhadol (Phalasia) District - Udaipur. (Under Dewas II Project)" के क्लोज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर लिया गया निर्णय :-

आयोजित बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री सुनील कुमार जोशी, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (वित्त विभाग)
3. श्री सुमनेश लाल माथुर, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज. जयपुर
4. श्री राजेश कुमार टेषण, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर

श्री हेमन्त पण्डया, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, उदयपुर रेस्पोंडेंट के रूप में उपस्थित हुये तथा मैसर्स एस.सी.एल. के प्रतिनिधि क्लेमेन्ट के रूप में उपस्थित हुये।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, उदयपुर द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति अवगत कराई है कि :-

आकोदडा बांध राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी एवम् मुख्य मंत्री घोषणा की देवास द्वितीय परियोजना का प्रमुख बांध हैं । देवास द्वितीय परियोजना उदयपुर शहर की झीलों को भरें रखने, शहर की 5 लाख से ज्यादा आबादी एवम् शहर के आसपास के 104 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये निर्माण किया गया हैं । संवेदक मैसर्स श्रीनिवासा कंसट्रक्शन लिमिटेड, हैदराबाद (पश्चात अवधि में मैसर्स एस. सी. एल. इन्फ्राटेक लिमिटेड, हैदराबाद) को Construction of Akodra Dam. Tehsil - Jhadol (Phalasia) District - Udaipur. (Under Dewas II Project) का कार्य का निविदा प्रकरण कार्य "जी" शिड्यूल राशि रूपये 236086846.00 मात्र पर परिक्रमित दर 42.39 प्रतिशत अधिक निविदत्त राशि रूपये 336164603.00 मात्र का सक्षम स्तर से स्वीकृत होने पर कार्यादेश जारी किया जाकर संविदा संख्या 194 / 2006 - 2007 सम्पादित की गई । संविदा अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 19.03.2007 एवं प्रस्तावित समाप्ति की दिनांक 18.03.2009 निर्धारित थी । संवेदक द्वारा कार्यस्थल पर दिनांक 19.07.2012 तक राशि रूपये 152512980.00 मात्र का कार्य (संविदा राशि का 45 प्रतिशत) सम्पादित कर कार्यस्थल पर स्वेच्छा से कार्य बन्द कर दिया गया। संवेदक द्वारा खुदाई, नींव की कॉन्क्रीट, ड्राईवर्जन मेशेनरी आदि आसान प्रकृति के कार्य सम्पादित किये जाने में रूचि लेकर सम्पादित किया गया एवं शेष कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया।

संविदा के तहत संवेदक को कार्य अवधि (दिनांक 19.03.2007 से दिनांक 18.03.2009 तक) दो वर्ष निर्धारित थी । निर्धारित समयावधि के अतिरिक्त दिनांक 06.06.2012 तक कुल 3 वर्ष 2 माह 19 दिवस का अतिरिक्त समय विभाग द्वारा बिना क्षतिपूर्ति / शास्ती के दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कर अततः दिनांक 19.07.2012 से स्वेच्छा से कार्य बंद कर दिया गया ।

जिस पर सक्षम स्तर से संविदा की धारा 2 एवम् 3 की कार्यवाही आदेशित होने पर तदनुसार प्रक्रिया पूर्ण की गई । तत्पश्चात शेष कार्य पूर्ण करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाकर निविदा प्रकरण सक्षम स्तर से स्वीकृत होने पर कार्यादेश राशि रुपये 297520709.00 मात्र का जारी किया जाकर संविदा संख्या 08 / 2013 - 2014 सम्पादित की गई जिस अनुसार कार्य की प्रारम्भ दिनांक 15.09.2013 एवम् प्रस्तावित समाप्ति दिनांक 14.12.2014 निर्धारित थी । शेष कार्य के संवेदक द्वारा आकोदडा बांध के शेष कार्य को दिनांक 17.05.2015 को पूर्ण कर दिया गया ।

अधिशायी अभियन्ता द्वारा यह भी बताया गया कि संविदा की धारा 2 एवम् 3 की कार्यवाही आदेशित होने के पश्चात विभाग के पास उपलब्ध जमा राशि का निस्तारण कुल वसूली योग्य राशि के विरुद्ध किया जाने के पश्चात अब कुल रुपये 106524548.00 मात्र की वसूली की जाना शेष है ।

मैसर्स एस. सी. एल. इन्फ्राटेक लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा दिये गये क्लेम पर विचार विमर्श किया गया ।

1. Due Payment of Work Done Rs.27.00 Lacs

क्लेमेन्ट द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि उन्हें 37 वें कमिक बिल के द्वारा मई 2012 तक किये गये कार्य का भुगतान किया गया। इसके पश्चात् किये गये मेशनरी, सीमेन्ट कांकीट के कार्य का लगभग 27.00 लाख का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

अधिशायी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि संवेदक के द्वारा कार्यस्थल पर किये गये कार्य के नाप दर्ज कर 38वाँ एवम् अपूर्ण अंतिम बिल राशि रुपये 1772421.00 मात्र (कुल राशि रुपये 152512980.00 मात्र) का निस्तारण किया जाकर संविदा की धारा 2 एवम् 3 के तहत की गई कार्यवाही से वसूल योग्य राशि के विरुद्ध विभाग द्वारा जमा की गई हैं । अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं ।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नहीं है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

2 . Due Payment of Escalation Bill Submitted Rs.27.00 Lacs

क्लेमेन्ट द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा माह मई 2012 में राशि रु. 27.98 लाख का वृद्धि प्रभारों का बिल प्रस्तुत किया था विभाग से कई बार निवेदन किये जाने के उपरान्त भी वृद्धि प्रभारों का भुगतान नहीं किया गया। कार्य बहुत अधिक ऊंचाई पर होने के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ है।

अधिशायी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य की अवधि के दौरान संवेदक को प्रथम से चतुर्थ Escalation बिल का समय पर भुगतान किया जा चुका है। संवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया पाँचवा एस्कालेशन बिल फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत नहीं करने से मूल एस्कालेशन बिल अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, उदयपुर के कार्यालय पत्रांक 10942 – 10945 दिनांक 18.07.2012 से संवेदक क्लेमेन्ट को लौटा दिया गया। संवेदक क्लेमेन्ट द्वारा पाँचवा Escalation बिल उक्त पत्र द्वारा सूचित टिप्पणी की पूर्ति कर पुनः विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह क्लेम उपयुक्त नहीं है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

3 . Idling of Resources Rs.75.00 Lacs

क्लेमेन्ट द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि माह जून, 2012 से अगले 15 माह तक हमारे श्रमिक एवं मशीनरी खाली रहे, जिनका हमें भुगतान करना पड़ा।

अधिशायी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि संवेदक के द्वारा स्वेच्छा से कार्य बन्द कर अपनी मशीनरी को कार्यस्थल से स्वयम् ही माह अप्रैल 2012 में हटा लिया गया था अतः क्लेम देय नहीं है। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह क्लेम उपयुक्त नहीं है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

4 . Loss Of Profit For The Over Stay Period At Site Rs.195.00 Lacs

क्लेमेन्ट द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि कार्यस्थल पर निर्माण कार्य हेतु पत्थर उपलब्ध नहीं था, पत्थर की अनुपलब्धता के कारण कार्य में हुए विलम्ब के कारण राशि रूपये 195.00 लाख का क्लेम प्रस्तुत किया गया।

अधिशायी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यस्थल पर निर्माण कार्य हेतु स्टोन की उपलब्धता थी एवम् संविदा अनुसार संवेदक को स्टोन की आपूर्ति का इंतजाम स्वयम् के स्तर से करना था। क्लेमेन्ट द्वारा अपने संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया अतः संवेदक को आवश्यकता अनुसार स्टोन प्राप्त नहीं हुआ। स्टोन की उपलब्धता हेतु डॉ. एन. के चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेन्ट ऑफ जियोलोजी, एम. एल. एस.

यूनिवर्सिटी, उदयपुर द्वारा दिनांक 21.11.2008 को दी गई रिपोर्ट एवम् जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के श्री वी. पी. शर्मा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 12.02.2009 से भी स्पष्ट होता है कि स्टोन की पूर्ण उपलब्धता थी। यह तर्क इस बिन्दू से भी निरस्त हो जाता है कि क्लेमेन्ट द्वारा पाँच वर्ष चार माह की अवधि में आवंटित कार्य का 45 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया जबकि शेष रहा कार्य नये संवेदक द्वारा स्टोन की क्वेरी स्थल (Stone Quarry) का विवेकपूर्ण उपयोग कर मुख्य बांध के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले स्टोन प्राप्त कर एक वर्ष आठ माह में ही पूर्ण कर दिया गया। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह क्लेम उपयुक्त नहीं है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

5. Extra Payment On Account Of Excavation, Obtaining Hard Stones Suitable For Dam Masonry Rs.732.00 Lacs

क्लेमेन्ट द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा बताये गये कई स्थानों पर खुदाई किये जाने के बाद भी निर्माण कार्य हेतु पत्थर उपलब्ध नहीं हुआ तथा उनके द्वारा बहुत ऊंची दर पर पत्थर की व्यवस्था की गई। जिसके लिये अतिरिक्त भुगतान दिलवाया जावे।

अधिशोषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यस्थल पर निर्माण कार्य हेतु बांध निर्माण हेतु मेसेनरी हार्डस्टोन की उपलब्धता थी। क्लेमेन्ट द्वारा अपने संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया। यह तर्क इस बिन्दू से स्वतः ही निरस्त हो जाता है कि क्लेमेन्ट द्वारा पाँच वर्ष चार माह की अवधि में आवंटित कार्य का 45 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किया गया जबकि शेष रहा कार्य नये संवेदक द्वारा एक वर्ष आठ माह में ही पूर्ण कर दिया गया। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य है।


दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह क्लेम उपयुक्त नहीं है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।


6. Payment Of Security Deposit Rs.189.00 Lacs


क्लेमेन्ट द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि कार्यस्थल पर निर्माण कार्य के बिलों से रोकड़ी गई सिक्क्यूरिटी डिपोजिट राशि रुपये 189.00 लाख के भुगतान किया जावे।


अधिशोषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि संवेदक के विरुद्ध संविदा की धारा 2 एवम् 3 के तहत कार्यवाही आदेशित होने से संविदा की धारा 2 के तहत क्षतिपूर्ति की राशि, अन्य वूसली योग्य राशि एवम् संविदा की धारा 3 (सी) के तहत कार्य मूल संवेदक के हर्जे खर्चे पर सम्पादित कराने से अधिक व्यय हुई राशि की वसूल योग्य राशि के विरुद्ध विभाग द्वारा जमा की गई है। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य है।


दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नहीं है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।


(राजेश कुमार टपण)
अति. मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन सम्भाग,
उदयपुर


(सुमनेश लाल माथुर)
अति.सचिव एवम्
मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन राज.
जयपुर


(यशराज कुमार जोशी)
वरिष्ठ संयुक्त विधि
परामर्शी,
प्रतिनिधि विधि विभाग


(जांकार/डुसेन)
संयुक्त शासन सचिव
प्रतिनिधि वित्त विभाग


(अजिताभ शर्मा)
शासन सचिव,
जल संसाधन विभाग
राजस्थान, जयपुर